

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक:- ४२८ / ११-सी-FP/UP/Water/119894/2021, लखनऊ, दिनांक: सितम्बर ०९, २०२१

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
वन्यजीव, पश्चिमी क्षेत्र,
कानपुर।

विषय:-

जनपद-सोनभद्र के कैमूर वन्यजीव प्रभाग, मिर्जापुर में जल जीवन मिशन के अंतर्गत राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग-उत्तर प्रदेश) द्वारा पटवध ग्राम समूह पाइप पेयजल योजनान्तर्गत ग्राम-कन्ठ में प्रस्तावित WTP पाइप लाइन एवं जैकवेल निर्माण में प्रभावित ६.४३२५ हेक्टेक्टर क्षेत्र के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक ५५ वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भ:-

आपका पत्रांक-४८७ / २६-११, दिनांक ०६.०९.२०२१

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा विषयगत प्रस्ताव इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त ऑनलाइन व हार्डकापी में निम्नलिखित कमियों/अभिलेखों का आभाव पाया गया:-

१. ऑनलाइन पार्ट-१ के क्रमांक-B.२.३ में Village wise breakup में डाटा फीड नहीं किया गया है।
२. ऑनलाइन भाग-२ में अपलोड किया गया Geo Referenced Digital Map एवं Sol Toposheet में प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है। अतः प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त Geo Referenced Digital Map एवं Sol Toposheet ऑनलाइन भाग-२ में यथास्थान पर अपलोड करें।
३. मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, पश्चिमी क्षेत्र, कानपुर की संस्थुति का भाग-३ ऑनलाइन भाग-२ के क्रमांक-१६ में अपलोड नहीं है।
४. विषयगत परियोजना कैमूर वन्यजीव विहार के अंतर्गत प्रस्तावित है। अतः वन्यजीव से सम्बन्धित अनुमति हेतु प्रस्ताव प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, उ०प्र०, लखनऊ के कार्यालय में उपलब्ध कराये जाने की सूचना प्रस्ताव में संलग्न नहीं है।
५. प्रस्ताव की सॉफ्ट कापी सीडी में संलग्न है। अतः पेनड्राइव में अपलोड कर पेनड्राइव संलग्न करें।

अतः कृपया किसी कार्यदिवस में अपने कार्यालय प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्ताव की ०३ प्रतियाँ प्राप्त कराकर, इंगित कमियों का निराकरण के पश्चात् पूर्ण संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को ०३ प्रतियों में उपलब्ध करायें, ताकि आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

लैज
(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
ल०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक:- ४२८ / ११-सी-FP/UP/Water/119894/2021, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

१. प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्यजीव प्रभाग, मिर्जापुर।
२. तकनीकी सलाहकार, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, ६ राणा प्रताप मार्ग, य०पी० जल निगमनकान्ड।

लैज
(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
ल०प्र०, लखनऊ।